Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

Office Order No. 15 of 2015

Sub: Biometric Attendance

Attention is invited to Office Order No. 91 and 80 of 2014 regarding marking of attendance by all officers/staff through Aadhar Enabled Biometric Attendance System (AEBAS) w.e.f 1/1/2015.

2. It has been observed that while majority of the staff/officers are marking their attendance through AEBAS, a few employees are still not doing so, which has also been pointed out by DOP&T in its recent communication to Board. DOP&T has also re-iterated that attendance should invariably be marked through AEBAS by all the Central Government Employees.

3. It is, therefore, mandatory that all Officers/staff mark their attendance through AEBAS both at the time of arrival and leaving the office.

4. Officers/staff who joined Board's office recently or were on leave/training for long period during past few months, should register themselves immediately in terms of Office Order No. 66 of 2014. The registration has to be done online under the link employee registration of 'indianrailways.attendance.gov.in'. After registering themselves, a compliance report is to be submitted to the concerned Cash section and RBCC section of C&IS Directorate, as per Office Order No. 81 of 2014.

5. Strict compliance by all Officers/staff is solicited.

(K Krishnan)
Joint Secretary/Railway Board

No.2015/O&M/9/3
Dated: 11/2/2015

All Officers and Branches in Board's Office, NRM and at Metro Bhawan, Pragati Maidan.

2015 का कार्यालय आदेश संख्या-15

विषय: बायोमैट्रिक उपस्थिति

आपका ध्यान 2014 के कार्यालय आदेश सं० 91 और 80 की ओर दिलाया जाता है जो 1.1.2015 से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति लगाने के बारे में है।

2. यह देखा गया है कि यद्यपि अधिकांश कर्मचारी/अधिकारी अपनी उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से लगा रहे हैं, तथापि कुछ कर्मचारी अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी हाल ही में बोर्ड को भेजे गए अपने पत्र में इसका उल्लेख किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पुन: दोहराया है कि केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों द्वारा अनिवार्यत: आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति लगाई जाए।

3. अत: यह अनिवार्य है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय आते समय और कार्यालय छोड़ते समय आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति लगाएं।

4. ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्होंने बोर्ड कार्यालय हाल ही में ज्वाइन किया है अथवा जो पिछले कुछ महीनों के दौरान लम्बी छुट्टी/प्रशिक्षण पर थे, वे 2014 के कार्यालय आदेश सं० 66 के अनुसार तत्काल अपने आपको रजिस्टर करें। यह रजिस्ट्रेशन 'indianrailways.attendance.gov.in' के एम्पलाई रजिस्ट्रेशन लिंक के अन्तर्गत ऑनलाइन किया जाना है। अपने आपको रजिस्टर करने के बाद 2014 के कार्यालय आदेश सं० 81 के अनुसार संबंधित कैश अनुभाग और सी एण्ड आई एस निदेशालय के आरबीसीसी अनुभाग को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

5. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

सं०2015/ओ एण्ड एम/9/3
दिनांक: 11/2/2015

(के. कृष्णन)
संयुक्त निदेशक/रेलवे बोर्ड

रेल भवन, एन आर एम तथा मेट्रो भवन, प्रगति मैदान स्थित बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी और शाखाएं।